जलवायु परिवर्तन से जुडी नीतियों में अधिकाधिक महिलाओं को शामिल किया जाए – लोक सभा अध्यक्ष

नुसा दुआ (बाली, इंडोनेशिया), 7 सितम्बर, 2017 : 7 सितम्बर 2017 को नुसा दुआ (बाली, इंडोनेशिया) में सतत विकास संबंधी विश्व संसदीय मंच की बैठक के दौरान "महिला राजनीतिज्ञ : जलवायु परिवर्तन, महिलाओं के भूमि संबंधी अधिकार और सतत विकास" विषय पर प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने जलवायु परिवर्तन से जुडी नीतियों में अधिकाधिक महिलाओं को शामिल किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्रीमती महाजन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, महिलाओं के भूमि संबंधी अधिकार और सतत विकास के विषय आपस में जुड़े हुए हैं और इनसे संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को गरीबी, जलवायु परिवर्तन के अधिक खतरे और अधिक जिम्मेदारियों के साथ - साथ अन्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को भूमि का अधिकार दिलाना जरूरी है ताकि उन्हें भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार मिल सके जो सतत आधार पर जीवनयापन के लिए आवश्यक है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है। इस सन्दर्भ में उन्होंने सभी भागीदारों का आह्वान किया कि वे भूमि अधिकारों की व्यापक व्याख्या तैयार करें और उत्पादक संसाधनों तक इस प्रकार पहुँच सुनिश्चित करें जो गरीबों के हित में हो, महिलाओं के हित में हो और मानव अधिकारों के अनुरूप हो। श्रीमती महाजन ने प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि भारत में उत्तराधिकार संबंधी क़ानून को शासित करने वाले हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया है ताकि बेटों के समान बेटियों को भी भूमि सहित परिवार की पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया जा सके।

इस बात का उल्लेख करते हुए कि वर्ष 2030 का अजेंडा और 17 सतत विकास लक्ष्यों की मदें भारत की विकास की परिकल्पना के अनुरूप हैं, श्रीमती महाजन ने कहा कि 'स्मार्ट सिटीज', 'मेक इन इंडिया', बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि जैसी भारत सरकार की पहलें सतत विकास लक्ष्यों के कई टारगेट से मिलती जुलती हैं।

श्रीमती महाजन ने यह भी कहा कि भारत की संसद नीति निर्माण और कार्यक्रम कार्यान्वयन और विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को मुख्यधारा में लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और संसद दोनों ही सतत विकास लक्ष्यों के समुचित कार्यान्वयन में गहरी रूचि ले रहे हैं और सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत चर्चा के लिए संसद के प्रत्येक सत्र में एक दिन नियत करने के लिए वचनबद्ध हैं जिसमें एक समय पर एक विशेष लक्ष्य पर ही ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि स्थिति का जायजा लेने और सही दिशा में आगे बढ़ने के साथ साथ हमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सांसदों की अधिक व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त हो। उन्होंने यह भी कहा कि सदस्यों

को अन्य बातों के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित जानकारी देने के लिए अध्यक्षीय शोध कदम (एसआरआई) की शुरुआत की गई है।

श्रीमती महाजन ने यह राय व्यक्त की कि सांसद विकास के अजेंडा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे इस स्थिति में होते हैं कि वे अपने अपने देश के विकास के अजेंडा का स्वरुप और सार सुनिश्चित कर सकते हैं और सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए उनको इस बात का फायदा है कि वे महिलाओं पर विपरीत प्रभाव डालने वाले जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के समाधान में संलग्न निचले स्तर के संगठनों और महिलाओं को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं और यह उनकी विशेष जिम्मेदारी भी है।